

प्रपत्र (ओ)

वित्त

26/10/40

47

2)

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन-भूमि तथा बंजर-भूमि में प्रथमा उत्त पर सरकार के मोर प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की बांच और उनका अभिलेखन राजस्थान अधिनियम, १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या ११) की बारा २६ की उप-बारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार में किया जा चुका है ।

अतः सब उपर्युक्त अधिनियम की बारा २६ की उप-बारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबन्ध, पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जो कि एतद्वारा रमित बन कहलाया जावेगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

सचिव
राजस्थान सरकार,
जयपुर, राजस्थान

भूमि का विवरण

क्रमांक	तहसील	वन-खण्ड	सीमा	अनुमानित क्षेत्रफल (एकड़ों में)	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६

जयपुर २४/१०/४० लाहवा लाहवा १६५१.५४ सीमा विवरण परिलिखित एकड़ (प्र) संलग्न है

योग १६५१.५४ एकड़

TRUE COPY

राजस्थान सरकार
बहायक वन बन्दोर्स्त अधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

(सुनील)
उप वन संरक्षक
जयपुर

Compared with Original

राजस्थान सरकार
वन विभाग
विज्ञप्ति

संख्या ५- २८०५२/२०११

दिनांक २५.६.२०११

चूँकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में समाविष्ट वन भूमि तथा बंजर-भूमि में अथवा उसपर सरकार के और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार तथा सीमा की जांच और उनका अभिलेखन राजस्थान वन अधिनियम १९५३ (१९५३ का राजस्थान अधिनियम संख्या (१३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या एफ.२ (२५) वन/२००२ दिनांक २८ नवम्बर २००२ के अनुसरण में किया जा चुका है।

अतः अब उपर्युक्त अधिनियम की धारा २९ की उप-धारा (१) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि कथित अधिनियम के अध्याय ४ के अनुबंध पूर्वोक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि पर लागू होंगे जोकि एतत्पश्चात् रक्षित वन कहलाया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शासन सचिव

(श्री एच. २८०५२/२०११)
शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर

अनुसूची

जिला	तहसील	पट्टिया वन खण्ड	मौजा	क्षेत्रफल			वि.वि.
				खसरा नं.	बीघा	बिरवा	
अजमेर	सरवाड़	ऐरा का बहाला	धानमा	४४६	०	०५	
				४४७	२७	१९	
				योग	२८	०४	
				या	४.५६५ हैक्टेयर		

(सुनील)
उप वन संरक्षक
अजमेर

वन बन्दोबस्त अधिकारी
जोडा

(श्री एच. २८०५२/२०११)
शासन सचिव
वन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर